न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2021 नामान्तरकरण अपील

1. गोपाल पुत्र रामजीलाल
2. रामबाबू पुत्र रामजीलाल
3. अजय कुमार पुत्र रामजीलाल
4. श्रीमति भगवती देवी पत्नि स्व. गिरधारीलाल
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सिकराय जिला दौसा।
5. श्रीमति सरिता पुत्री गिरधारीलाल पत्नि विनोद
6. श्रीमति रीना पुत्री गिरधारीलाल पत्नि ओमप्रकाश
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नारोली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
7. श्रीमति नेहा पुत्र गिरधारीलाल पत्नि नितिन कुमार जाति ब्राह्मण निवास साईवाड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. लक्ष्मी पुत्री सुधीर अल्पवयस्क जरिये माता संरक्षिका किरण देवी।
9. कु0 प्रिया पुत्री सुधीर अल्पवयस्क जरिये माता संरक्षिका किरण देवी।
10. कु0 काजल पुत्री सुधीर अल्पवयस्क जरिये माता संरक्षिका किरण देवी।
11. कु0 त्रिपति पुत्री सुधीर अल्पवयस्क जरिये माता संरक्षिका किरण देवी।
12. श्रीमति किरण देवी पत्नि सुधीर
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सिकराय जिला दौसा।
13. श्रीमति शादरा पुत्री रामजीलाल पत्नि कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी विवेक विहार 4/4, न्यू सांगानेर रोड जयपुर।
14. अवधेश पुत्र स्व. कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी विवेक विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड जयपुर।
15. श्रीमति द्रोपदी पुत्री रामजीलाल पत्नि संतोष कुमार जाति ब्राह्मण निवासी मिश्रा मौहल्ला बांदीकुई जिला दौसा।
16. श्रीमति लक्ष्मी पुत्री रामजीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी महेश नगर जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बालस्वरूप पुत्र फैलीराम जाति मीना निवासी सिकराय जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 1.12.2020 नामान्तरकरण संख्या 605 ग्राम सिकराय जिला दौसा)

उपस्थिति :—: श्री उमेश कुमार गौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक: 07.06.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी अंकित खाता संख्या 467 के खसरा नम्बर 582 रकबा 30 एयर, खाता संख्या 469 के खसरा नम्बर 574 रकबा 8 एयर, खाता संख्या 47 के खसरा नम्बर 559 रकबा 34 एयर, 559/3096 रकबा [illegible] एयर गैर मुमकिन बोरिंग वाके ग्राम सिकराय की खातेदारी बालस्वरूप पुत्र फैलीराम जाति मीना मुर्तहिन एवं रामजीलाल पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण मुर्तहिन खाता संख्या 467 व बालस्वरूप राहिन तथा श्रीमति हरप्यारी पत्नि स्व. सूरज नारायण मुर्तहिन खाता संख्या 469 व 473 पर अंकित थी। स्व. रामजीलाल मुर्तहिन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में वर्तमान खसरा नम्बर के पूर्व खसरा नम्बर 432 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 429 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 440/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सिकराय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:52:46 IST
Reason: SelfAttested

सम्बन्ध में वाद उनवानी रामजीलाल बनाम बालस्वरूप वाद उद्‌घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में दिनांक 14.10.1999 को मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करने पर वादी स्व. रामजीलाल द्वारा अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर शिविर दौसा में प्रस्तुत की। अपील न्यायालय के निर्णय अनुसार आराजी वादग्रस्त को कुर्क कर बयकब्जे रिसीवर तहसीलदार सिकराय सुपर्दु किया गया। अपील न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी बालस्वरूप द्वारा प्रस्तुत निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अस्वीकार की गई। आराजी वादग्रस्त विगत 17 वर्षो से बयकब्जा रिसीवर चली आ रही है। दौराने सुनवाई वाद वादी स्व. रामजीलाल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स उनके उत्तराधिकारीगण पक्षकार वाद में बनाये गये। न्यायालय उप जिला कलक्टर द्वारा अपीलान्ट्स का वाद उनवानी रामजीलाल बनाम बालस्वरूप दिनांक 12.11.2020 को निरस्त फरमा दिया। अपीलान्ट्स ने न्यायालय निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय एस.ओ. एवं आर.ए.ए. शिविर दौसा में प्रस्तुत कर स्थगन आदेश दिनांक 22.12.2020 को प्राप्त कर लिया। अधीनस्थ तहसीलदार सिकराय ने न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के निर्णय व डिक्री को आधार बनाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 1.12.2020 को पारित किया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश से व्यथित अपीलान्ट्स पक्षकारगण ने यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश दिनांक 1.12.2020 विधि प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में स्व. रामजीलाल मुर्तहिन द्वारा प्रस्तुत वाद उद्‌घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र रहन मुर्तहिन के अंकन को समाप्त कर अपने पक्ष में खातेदारी उद्‌घोषणा का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने न्यायालय निर्णय को बिना समझे, बिना पढे स्व. रामजीलाल व मु0 हरप्यारी जिसके स्व. रामजीलाल वसीयत ग्रहिता का नाम जो जमाबन्दी मे बहैसियन मुर्तहिन अंकित है को विलोपित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 को खातेदार के रूप में प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश द्वारा राजस्व अभिलेख में अंकित करने का आदेश अवैध एवं प्रभावशुन्य है। तहसीलदार द्वारा न्यायालय निर्णय दिनांक 12.11.2020 को बिना समझे अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अनुपालना हेतु सम्बन्धित पक्षकार द्वारा इजराय का आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। तहसीलदार न्यायालय द्वारा इजराय आवेदन में पारित आदेश की पालना में अपेक्षित आदेश पारित करने को सक्षम होता है। अपने विवकानुसार नामान्तरकरण आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है। प्रश्नगत नामान्तरकरण पटवारी द्वारा बिना किसी आदेश व अधिकार के न्यायालय निर्णय व डिक्री की पालना में अनाधिकृत रूप से दिनांक 27.11.2020 भरा गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 1.12.2020 को तुलनात्मक नोट गलत अंकित किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण व दुरूपयोग कर प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया है। मुर्तहिन खातेदार हरप्यारी की मृत्यु हो चुकी है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं फरमाया जा सकता। प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश रहन मुक्ति का बताकर भरा गया है एवं तस्दीक किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43(4) के प्रावधान अनुसार ऐसे रहन मुर्तहिन अंकन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर लागु होने है दिनांक 15.10.1955 से पूर्व के है उन्हें समाप्त करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा पारित निर्णय **RRD 1995 P-656** पर स्पष्ट सि[illegible] प्रतिपादित है। प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार से ताल[illegible] कर अपने पक्ष में करवाया गया है। न्यायालय उप जिला कलक्टर [illegible] द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 में भी रहन मुर्तहिन के अंकन विलोपित करने का कोई आदेश नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश दिनांक 1.12.2020 को निरस्त फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:12:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा मु0नं0 2016/315, 457/16 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 में आदेश दिये गये हैं कि मूर्तहीन के नोट का जमाबन्दी में अंकन विधि विरूद्ध है तथा वादी का खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विधिक प्रावधानों अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी बालस्वरूप पुत्र फैलीराम जाति मीना को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बतौर रिसीवर निर्णय अनुरूप कब्जा प्रतिवादी को सौंपे। उक्त निर्णय दिनांक 12.11.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा वाद का तनकीवार विवेचन में तनकी सं0 5 में अंकितानुसार प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कथन किया काश्तकारी प्रावधान लागू होने के 20 वर्ष पश्चात राहिन/मूर्तहीन के अधिकार स्वतः ही खारिज हो जाते हैं। अतः मूर्तहीन की हैसियत से वादीगण का नाम दर्ज चला आना विधि विरूद्ध है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। तहसीदार सिकराय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय दिनांक 12.11.2020 की पालना में प्रश्नगत नामांतरकरण भरा गया है जो सही भरा गया है। तहसीलदार सिकराय द्वारा उक्त नामांतरकरण तस्दीक करते वक्त किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रचलित नहीं था। उपखण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 12.11.2020 की अपील की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत नामांतरकरण सं. 605 दिनांक 01.12.2020 के अवलोकन से तहसीलदार सिकराय ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा मुकदमा सं0 315/16, 457/16 उनवान रामलाल बनाम बालस्वरूप में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2020 की पालना हेतु अंकन करते हुए उक्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया है। अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय दिनांक 12.11.2020 के विरूद्ध अपीलेट न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा में अपील किया जाना एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे निगरानी विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रचलित है। प्रश्नगत नामांतरकरण से संबंधित प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपीलेट न्यायालय में अपील/निगरानी विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रचलित होने से इस न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उभयपक्ष सक्षम अपीलेट न्यायालय में चाराजोही कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:52:46 IST
Reason: SelfAttested